

आदेश

क्रमांक 620/गोपनीय/2010  
दो-2-1/2010 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई, 2010

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा ।	रीवा	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिविल जिला, होशंगाबाद । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद की हैसियत से श्री एच0के0 दुबे के स्थान पर। (दिनांक 31.07.2010 को रिक्त होने वाले पद पर)।
2.	श्रीमती केशर यादव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रीवा ।	रीवा	बैठन (सिंगरौली)	बैठन (सिंगरौली)	सिविल जिला, बैठन (सिंगरौली) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैठन (सिंगरौली) की हैसियत से नवनिर्मित सिविल जिले में।
3.	श्री राम निवास पटेल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	जबलपुर	नीमच	नीमच	सिविल जिला, नीमच । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच की हैसियत से श्री एस0एन0 शर्मा के स्थान पर। (दिनांक 31.07.2010 को रिक्त होने वाले पद पर)।
4.	श्री सुशील कुमार पालो, सदस्य सचिव, म0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	जबलपुर	रीवा	रीवा	सिविल जिला, रीवा । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से श्री राजीव सक्सेना के स्थान पर।

  
16.7.10

5.	श्री ओम प्रकाश दुबे (जूनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल ।	शहडोल	हरदा	हरदा	सिविल जिला, हरदा । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की हैसियत से श्री जे०पी० पाराशर के स्थान पर ।
6.	श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा ।	हरदा	शहडोल	शहडोल	सिविल जिला, शहडोल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से श्री ओम प्रकाश दुबे (जूनियर) के स्थान पर ।

क्रमांक 621 / गोपनीय / 2010  
दो-2-1/2010 (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई, 2010

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र	नाम	कहाँ से	कहाँ को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजीव भट्टजीवाले	रतलाम	सिरौज	विदिशा	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरौज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-सिरौज, जिला विदिशा की हैसियत से ।
2	श्री योगेश चन्द्र गुप्त	छतरपुर	रीवा	रीवा	षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में ।
3.	श्री सुधीर कुमार अवस्थी	करैरा	बैतूल	बैतूल	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में ।

  
16.7.10

4.	श्री तुलसी राम उईके	शुजालपुर	गाडरवारा	नरसिंहपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में ।
5.	श्री रामानंद चन्द	सागर	डबरा	ग्वालियर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में ।
6.	श्री दीपक गुप्ता	नरसिंहपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से ।

क्रमांक 822/गोपनीय/2010  
दो-2-1/2010 (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई, 2010


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) को सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

#### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री प्रकाश चन्द्र आर्य	अशोकनगर	बासौदा	विदिशा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से ।


उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

  
(टी0के0 कौशल) 16/7/10  
रजिस्ट्रार जनरल

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल- 462004, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया श्री राम निवास पटेल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर एवं श्री सुशील कुमार पालो, सदस्य सचिव, म0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की पदस्थापना नियमित न्यायालय में होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं उच्च न्यायालय को सौंपे जाने संबंधी आदेश राज्य शासन से प्राप्त कर इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
3. महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 5.(1) श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा,  
(2) श्रीमती केशर यादव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रीवा,  
(3) श्री राम निवास पटेल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर  
(4) श्री सुशील कुमार पालो, सदस्य सचिव, म0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर,  
(5) श्री ओम प्रकाश दुबे (जूनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल,  
(6) श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा,  
(7) श्री राजीव भट्टजीवाले, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम,  
(8) श्री योगेश चन्द्र गुप्त, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर,  
(9) श्री सुधीर कुमार अवरथी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करैरा के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, स्थान-करैरा, जिला शिवपुरी ।  
(10) श्री तुलसी राम उईके, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर, जिला शाजापुर,  
(11) श्री रामानन्द चन्द, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर,  
(12) श्री दीपक गुप्ता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर,  
(13) श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), अशोकनगर,  
को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे की पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 02-08-2010 तक कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम/ छतरपुर/ शिवपुरी/ शाजापुर/ सागर/ नरसिंहपुर/ अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश दे दें जिससे कि संबंधित अधिकारी द्वारा उनकी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 02-08-2010 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि कृपया संबंधित अधिकारी के कार्यभार सौंपने संबंधी प्रतिवेदन इस रजिस्ट्री को यथाशीघ्र प्रेषित करें।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, \_\_\_\_\_ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. कार्यालय सदस्य सचिव, म0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोषण आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर-452001/ जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), 28/बी, रेसकार्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
13. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
14. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (न्यायिक) / (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (I. L. R. & Examination)/ उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
15. रजिस्ट्रार (व्ही0एल)/ (जिला स्थापना)/ (न्यायिक-1) (न्यायिक-2)/ (प्रशासन)/ (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (Exam & Labour Judiciary)/ अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (आई0टी0)/ रजिस्ट्रार एवं सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ (न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
16. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
17. संचालक/अतिरिक्त संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
18. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
19. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
20. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
21. अनुभाग अधिकारी \_\_\_\_\_ पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, कम्प्यूटर विभाग, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
22. रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

  
 (टी0के0 कौशल)  
 रजिस्ट्रार जनरल